

©:7737746465

[Maximum Marks : 200

www.LinkingLaws.com



Signature and Name of Invigilator

1.	(Signature)
	(Name)
2.	(Signature)

Roll No.							
	(In f	igure	s as p	er ac	dmiss	sion c	ard)
Roll No.							
KUII 1 10.		(Ir	wor	ds)			

Test Booklet No.

D - 5807

(Name)

PAPER – III I AW

Time: 2½ hours] LAW

Number of Questions in this Booklet: 26

Instructions for the Candidates

- 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

No Additional Sheets are to be used.

Number of Pages in this Booklet: 40

- 3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below:
 - (i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
 - (ii) Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.
- 4. Read instructions given inside carefully.
- 5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
- 6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
- You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
- 8. Use only Blue/Black Ball point pen.
- 9. Use of any calculator or log table etc. is prohibited.
- 10. There is NO negative marking.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- 1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अ<mark>पना रोल नम</mark>्बर लिखिए।
- 2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हु<mark>ये रि</mark>क्त स्थान पर <mark>ही</mark> लिखिये।

इसके लिए कोई अ<mark>ति</mark>रिक<mark>्त कागज का उपयोग नहीं करना है।</mark>

- 3. परीक्षा प्रारम्भ हो<mark>ने पर, प्रश्न-पुस्ति</mark>का आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है:
 - (i) प्रश्न-पुस्ति<mark>का खोलने के लिए उसके</mark> कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।
 - (ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ / प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले ले। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- 4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पहें।
- 5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
- 6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
- 7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
- 8. केवल नीले / काले बाल प्वाईंट पैन का ही इस्तेमाल करें।
- किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।
- 10. गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।

D-5807 1 P.T.O.







LAW विधि

PAPER-III

प्रश्न-पत्र — III

NOTE: This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंकों का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित नोट: प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

D - 5807













SECTION - I

खण्ड 🗕 🛭

Note: This section contains five (5) questions based on the following

paragraph. Each question should be answered in about thirty (30)

words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 marks)

नोट: इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर

लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंको का है।

(5x5=25 अंक)

A law that abrogates or abridges rights guaranteed by Part III of the Constitution may violate the basic structure doctrine or it may not. If former is the consequence of law, whether by amendment of any Article of Part III or by an insertion in the Ninth Schedule, such law will have to be invalidated in exercise of judicial review power of the Court. The validity or invalidity would be tested on the principles laid down in this judgement. The majority judgement in Kesavananda Bharti's case read with Indira Gandhi's case, requires the validity of each new constitutional amendment to be judged on its own merits. The actual effect and impact of the law on the rights guaranteed under Part III has to be taken into account for determining whether or not it destroys basic structure. The impact test would determine the validity of the challenge.

All amendments to the Constitution made on or after 24th April, 1973 by which the Ninth Schedule is amended by inclusion of various laws there in shall have to be tested on the touchstone of the basic or essential features of the Constitution as reflected in Article 21 read with Article 14, Article 19 and principles underlying them. To put it differently, even though an Act is put in the Ninth Schedule by a constitutional amendment, its provisions would be open to attack on the ground that they destroy or damage the basic structure if the fundamental right or rights are taken away or abrogated pertains or pertain to the basic structure. Justification for conferring protection, not blanket protection, on the laws included in the Ninth Schedule by Constitutional Amendments shall be a matter of Constitutional adjudication by examining the nature and extent of infraction of a Fundamental

D-5807 3 P.T.O.





Right by a statute, sought to be constitutionally protected, and on the touchstone of the basic structure doctrine as reflected in Article 21 read with Aricle 14 and Article 19 by application of the "rights test" and the "essence of the right test" taking the synoptic view of the Articles in Part III as held in Indira Gandhi's case. Applying the above tests to the Ninth Schedule laws, if the infraction affects the basic structure then such a law(s) will not get the protection of the Ninth Schedule.

If the validity of any Ninth Schedule law has already been upheld by this Court, it would not be open to challenge such law again on the principles declared by this judgement. However, if a law held to be violative of any rights in Part III is subsequently incorporated in the Ninth Schedule after 24th April 1973, such a violation / infraction shall be open to challenge on the ground that it destroys or damages the basic structure as indicated in Article 21 read with Article 14, Article 19 and the principles underlying thereunder. Action taken and transactions finalized as a result of the impugned Acts shall not be open to challenge.

जो कानून संविधान के भाग III द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निरस्त करता है या न्यून करता है वह मौलिक संरचना। ढाँचा सिद्धान्त का उल्लंघन कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। यदि पूर्ववर्ती कानून है चाहे वह भाग III की किसी अनुच्<mark>छेद में संशोधन् हो या नौवीं अ</mark>नुसूची में किसी अन्तर्स्थापन का परिणाम है, तो ऐसे कानून को न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार के प्रयोग में अवैध-करार करना होगा। इस नियम की वैधता अथवा अवैधता का परीक्षण इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आकार पर होगा। केशवानंद भारती केस में इंदिरा गाँधी मामले के साथ पढ़ने पर बहुमत का निर्णय अपने स्वयं के गुणागुण (मेरिट्स) के आधार पर वैधता की मांग करता है। भाग III के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों पर पडने वाले वास्तविक प्रभाव को निर्धारित करने के लिए यह दृष्टिगत करना होगा कि क्या यह मौलिक ढाँचे को तो नष्ट नहीं कर रहा है? इस प्रभाव का परीक्षण चुनौती की वैधता का निर्धारण करेगा, 24 अप्रैल 1973 और उसके बाद किये गये समस्त संविधान संशोधन, जिनके द्वारा नौवीं सूची में कई नियमों को जोड दिया गया है उन्हें संविधान की धारा 21 जिसे धारा 14 तथा धारा 19 के साथ पढ़ा जाना है, तथा उनमें अन्तर्निहित सिद्धांतों का मौलिक या अनिवार्य अभिलक्षणों की कसौटी पर परीक्षण करना होगा। इसे अगर दूसरी तरह से कहें तो संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन करके कोई धारा रखी गयी हो तो उसके प्रावधानों को इस आधार पर आक्रमण झेलने की संभावना रहेगी कि वह मौलिक अधिकार व मौलिक ढाँचे को नष्ट करता है या उस मौलिक अधिकार या अधिकारों को छीन लेता है जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित सुधार के प्रति संरक्षण (संपूर्ण संरक्षण नहीं) का औचित्य संवैधानिक न्याय

D-5807 4







निर्णयन का मामला होगा जिसमें किसी नियम द्वारा संवैधानिक रूप से सुरक्षित मौलिक अधिकार की सीमा व प्रकृति का किस हद तक व्यतिक्रम हुआ है इसका परीक्षण किया जायेगा। मौलिक ढाँचा सिद्धांत की कसौटी जो धारा 14 और धारा 19 के साथ पढ़ने से धारा 21 में प्रतिबिंबित होती है और जिसका अनुप्रयोग 'अधिकारों का परीक्षण' (राइटस टेस्ट) व 'अधिकार का सत्व' (एसेन्श ऑफ राइट) के परीक्षण में प्रतिबिंबित होता है तथा जो इंदिरा गाँधी मामले में (संविधान की) भाग-III की धाराओं का सार रूप दृष्टिकोण लेते हुए प्रतिबिंबित होता है। उपरोक्त परीक्षण का अनुप्रयोग करते हुए यदि यह व्यतिरेक कानुनों के भौतिक ढाँचे को प्रभावित करता है तो ऐसा कानून नौवीं अनुसूची का संरक्षण नहीं पाएगा। यदि नौवीं अनुसूची के किसी कानून की वैधता की इस न्यायालय द्वारा पृष्टि कर दी गई हो तो इस निर्णय के सिद्धांत पर घोषित उसे दुबारा किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तथापि यदि कोई कानून भाग-111 में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है और वह नौवीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किया गया है तो वह उल्लंघन/व्यतिक्रम मा<mark>ना जाये</mark>गा और उसको इस आधार पर चुनौती देने <mark>की छूट</mark> होगी कि वह धारा 21 में निर्दिष्ट और धारा 19 तथा धारा 14 के साथ उनमें अन्तर्निहित सिद्धांतों के विपरीत <mark>मौ</mark>लिक ढाँचे को नष्ट करता है व हानि प<mark>हुँचाता है। इन आक्षेपपू</mark>र्ण धाराओं के परिणाम स्वरूप <mark>निश्चित किए संव्यवहार (</mark>ट्रोजेक्शन्स) पर की गई कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

1. In which case the Supreme Court made these observations? सर्वोच्च न्यायालय ने इस संप्रेक्षण को किस मामले में प्रकट किया?

D - 58075

P.T.O.
















2.	What is the significance of Schedule IX?
	अनुसूची IX का महत्व क्या है?

What is "Rights test "? 3. अधिकार परीक्षण (राइट्श टेस्ट) क्या है?

D - 5807













4. Can the Supreme Court make judicial review of the laws kept in Schedule IX that infringe Articles 14, 19 and 21 of the Constitution ? क्या सर्वोच्च न्यायालय नौवीं अनुसूची में अन्तर्विष्ट ऐसी कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है जो संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं?
5. In your view what should be the basis for putting any Act in the Schedule IX.
आप के विचार से नौवीं अनुसूची में किसी अधिनियम को रखने का आधार क्या होना चाहिए।
Libkipalawe
LIIIRIII G LUVV
"Link the Life with Law" All Judiciary Exam

D-5807 7 P.T.O.





SECTION - II

खण्ड — II

Note: This section contains fifteen (15) questions each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks.

(5x15=75 marks)

नोट: इस खंड में पाँच-पाँच (5-5) अंकों के पंद्रह (15) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर

लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है।

(5x15=75 अंक)

6. Explain the concept of social justice as enjoined in the Constitution of India. भारत के संविधान में संलग्न सामाजिक न्याय की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए।

linking Lows

"Link the Life with Law" All Judiciary Exam

D - 5807

8





©:7737746465 www.LinkingLaws.com

P.T.O.

7. Write Fundamental Duties given in the Constitution of India.
भारत के संविधान में दिये गये मौलिक कर्तव्य लिखिए।
8. Explain "administrative law is the law of administration".
'प्रशासनिक नियम ही प्रशासन का नियम है' व्याख्या कीजिए।
Linking Laws
"Link the Life with Law" All Judiciary Exam



9.	Explain the notion of Lokpal. Is its purpose of adjudicate?
,	लोकपाल की अवधारणा स्पष्ट कीजिए क्या उसका उद्देश्य न्याय निर्णयन करना है?
10.	Explain the essential characteristics of a legal right.
	कानूनी अधिकार के अनिवार्य अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए।
	Tipl/ipertenue
	LIIIKIIIQ LUWS
	"Link the Life with Law" All Judiciary Exam



©:7737746465 www.LinkingLaws.com

P.T.O.

11. Define ownership. How does it differ from possession?	
स्वामित्व की परिभाषा दीजिए, वह कब्जे से कैसे भिन्न है?	
12. Explain the circumstances under which even death may be caused in exercise of right of private defence of body.	
उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनमें शरीर के वैयक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु भी की जा सकती है।	
Linking Laws	
"Link the Life with Law" All Judiciary Exam	
Country and Countr	



13.	Explain the provisions of Indian Penal Code dealing with its extra-territorial operations.
	भारतीय दण्ड संहिता के अतिरिक्त क्षैत्राधिकार प्रवर्तन सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
1/1	Discuss briefly the constitutional & civil remedies for the Protection of Environment
14.	Discuss briefly the constituti <mark>onal & civil remedies</mark> for the Protection of Environment. पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।
14.	
14.	
14.	पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।
14.	पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।
14.	पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।
14.	पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।
14.	पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।
14.	पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।
14.	पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।
14.	पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।
14.	पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।
14.	पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक और सिविल उपचारों की चर्चा कीजिए।



15.	Explain the concept of <i>jus cogens</i> .
	<i>जस कॉजेंस</i> की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए

16. Distinguish between void and voidable marriages. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों में भेद कीजिए।

D - 5807**13** P.T.O.



nking Laws the Life with Law All Judiciary Exam	(E): 7737746465 www.LinkingLaws.com	

17. Distinguish human rights from fundamental rights. मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों से सुभिन्न कीजिए।

Distinguish 'refugees' from 'illegal migrants' 18. 'शरणार्थी' को 'अवैध प्रवासियों' से सुभिन्न कीजिए।

D - 5807





19.	What is Innuendo? Explain with illustrations.
	व्यंग्य भाषण क्या है? उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए।

20. Define Partnership and explain its - essential elements. प्रतिभागिता की व्याख्या कीजिए और उसके अनिवार्य तत्वों को स्पष्ट कीजिए।

LINKING LOWS

D-5807 15 P.T.O.

SECTION - III

खण्ड—।।।

Note: This section contains five (5) questions from each of the electives / specialisations. The candidate has to choose <u>only one</u> elective / specialisation unit and answer all the five questions from it. Each question carries twelve (12) marks and is to be answered in about two hundred (200) words.

(12x5=60 marks)

नोट: इस खंड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता से पाँच (5) प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता को चुनकर उसी में से पाँचो प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न बारह (12) अंकों का है व उसका उत्तर लगभग दो सौ (200) शब्दों में अपेक्षित है।

(12x5=60 अंक)

Elective - I / विकल्प - I

- 21. "Though the Fundamental Duties are not enforceable by the Courts, they provide a valuable guide and aid to the interpretation of Constitutional and legal issues." (A.I.I.M.S. Students' Union Vs A.I.I.M.S.; 2004). Critically evaluate the statement.
 - ''यद्यपि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय <mark>नहीं हैं, वे संवै</mark>धानिक एवं विधिक प्रश्नों के निर्वचन एवं समाधान में मूल्यवान निर्देश एवं सहायक है।'' (A.I.I.M.S. Students Union Vs A.I.I.M.S.; 2004) उपरोक्त कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
- 22. "The Supreme Court and High Courts should deal graciously and courteously with each other and judges should not criticise each other". (Tirupati Balaji Developers (P.) Ltd Vs State of Bihar, 2004). Critically explain the role of superior courts in the light of the given statement.
 - उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को परस्पर एक दूसरे के साथ गरिमापूर्वक संव्यवहार करना और न्यायाधीशों को एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। (तिरुपित बालाजी विकास (प्रा.) लि. बनाम बिहार राज्य, 2004) इस अभिकथन के प्रकाश में उच्चतर न्यायालयों की भूमिका की व्याख्या करें।
- **23.** Critically analyse, by refering to cases, the constitutional provisions relating to "office of profit"
 - 'लाभ का पद' से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों का वादों की सहायता से आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
- **24.** How far the Preambulary expressions Justice, Equality, Liberty, Fraternity and Dignity of the Individual have been promoted through Fundamental Rights and Directive Principles?
 - उद्देश्यिकय अभिवचन न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं व्यक्ति की गरिमा को किस प्रकार मूल अधिकारों एवं निर्देशिक सिद्धांन्तों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

D-5807 16



25. State has the role of ensuring that "no class prospers at the cost of another class and no person suffers because of drawbacks which are not his but social." (M. Nagaraj V. Union of India, 2006).

Explain the nature and ambit of Article 16 in the light of the given statement. राज्य का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि कोई वर्ग दूसरे वर्ग के हित के मूल्य पर समृद्ध न हो और सामाजिक कमियों के कारण पीड़ित है। (एम. नागराज ब. भारत संघ, 2006).

इस वक्तव्य के प्रकाश में अनुच्छेद 16 की प्रकृति एवं सीमा की व्याख्या करें।

OR / अथवा

Elective - II / विकल्प-II

- 21. "Administrative law defies concrete definition." Elucidate.

 'प्रशासनिक निध को कोई निश्चित परिभाषा नहीं की जा सकती है'। विशदीकरण कीजिए।
- 22. Discuss the main aspects of rule against bias. How should the test of disqualification for "likelihood of bias", "real likelihood of bias", "reasonable suspicion of bias" and "actual bias" be formulated?

 अभिनत के विरुद्ध नियम के प्रमुख पक्षों की विवेचना कीजिए। 'अभिनत की संभावना', 'अभिनत की वास्तविक सम्भावना', 'अभिनत का युम्रिसंगत संदेह', तथा 'वास्तविक अभिनत' की निर्योग्यता की कसौटी को किस प्रकार सूत्रबद्ध किया जाना चाहिए।
- **23.** "Though administrative discretion has a value of its own, but it is a ruthless master also". Discuss.
 - 'यद्यपि प्रशासनिक <mark>वि</mark>वेक स्वयं में मू<mark>ल्यवान है, यह निर्दय स्वामी</mark> भी है'। विवेच<mark>ना की</mark>जिए।
- 24. "Mandamus is the most sought for remedy against administrative actions". Critically analyse the statement.
 - 'प्रशासनिक कृत्यों के विरुद्ध समावेश सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला उपचार है।' इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
- 25. "If Lok Pal institution ever established in India that shall help to evaporate maladministration and corruption and bring good governance." Discuss. यदि लोकपाल संस्था की भारत में स्थापना हुई तो कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार वास्पित हो जायेगा तथा सुशासन स्थापित होगा।' विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Elective - III / विकल्प-III

- 21. "Theories of legal realism like positivism look on law as the expression of will of the State, but see this as made through the medium of the courts." Discuss. विधिक यथार्थवाद के सिद्धान्त विधि को राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ती के रूप में देखते हैं परन्तु वे इसे न्यायालयों के माध्यम से निर्मित रूप में देखते हैं।' विवेचना कीजिए।
- **22.** Analyse the doctrine of *volkgeist* as propounded by Savigny. सैविनी द्वारा प्रतिपादित अन्तर्चेतना के सिद्धान्त का विश्लेषण कीजिए।

D-5807 17 P.T.O.





- 23. Examine the doctrine of stare decisis. What are the factors that keep the doctrine in being? पूर्व-निर्णय के सिद्धान्त का परीक्षण कीजिए। इस सिद्धान्त के बने रहने के लिये कौन से कारक उत्तरदायी हैं?
- Explain the Hohfeldian analysis of Right Duty and Liberty No Right relationships. हॉफिल्ड के अधिकार-दायित्व एवं स्वतन्त्रता कोई अधिकार नहीं के बीच में संबन्धों के बारे में किये गये विश्लेषण को समझाइये।
- Evaluate the role of Supreme Court in protecting right to health. स्वास्थ्य के अधिकार के संरक्षण में उच्चतम् न्यायालय की भूमिका का मुल्यांकन कीजिए।

OR / अथवा

Elective - IV / विकल्प-IV


- Explain the various kinds of mens reas, incorporated under Indian Penal Code 1860 Also state where mens reais not required. भारतीय दण्ड संहिता 1860 में वर्णित विभिन्न प्रकार के आपराधिक आशयों की विवेचना सहित व्याख्या कीजिए। यह भी बताइये जहाँ आपराधिक आशय की अपेक्षा नहीं है।
- Explain the principle of joint liability of persons who commit an offence in furtherance 22. of common intention of all. Distinguish common intention from common object also. कई व्यक्तियों द्वारा उन सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किये गये अपराध के लिये संयक्त दायित्व के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए। सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अन्तर भी बताइए।
- Define culpable homicide and murder and also explain when murder is called culpable 23. homicide. Give illustrations in support of your answer. सदोष मानववध व हत्या को समझाते हुए दोनों में अन्तर स्पष्ट कीजिये तथा स्पष्ट कीजिये कि कब हत्या, सदोष मानव वध कहलाती है। अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण भी दीजिए।
- 24. Define 'Defamation' as crime. Discuss its ingredients and exceptions as given in the Indian Penal Code. 'मानहानि' को अपराध के रूप में परिभाषित कीजिए। मानहानि के अपराध के तत्वों की व्याख्या करते हुए इसके अपवादों को बताइये।
- Define 'Rape'. Explain the essential ingredients to constitute offence under section 375 25. of Indian Penal Code. What is relevance of consent of the victim? Shall it make any difference if there is a custodial rape? 'बलात्संग' को परिभाषित कीजिए। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को समझाइये। पीडिता की सहमित का क्या प्रभाव होता है? यदि अभिरक्षा में बलात्संग होता है, तो क्या फर्क पडता है?

OR / अथवा

Elective - V / विकल्प-V

21. Briefly examine how water pollution is regulated and controlled under the water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974. जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनिय, 1974 की सहायता से किस हद तक जल प्रदूषण को नियमित एवं नियंत्रित किया गया है, संक्षेप में परीक्षण कीजिए।

D - 580718








कीजिए।

सकता है।



- 23. Examine briefly the important proposals made at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) held in Re De Janerio, 1992 for the Preservation & Protection of Environment.

 संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एवं विकास (यू.एन.सी.ई.डी) की पर्यावरण के संरक्षण एवं रोकथाम के लिये रीयो डी. जेनेरो, की 1992 के सम्मेलन में प्रस्तुत महत्वपूर्ण प्रस्तावों का संक्षेप में परीक्षण कीजिए।
- 24. "Constitutional and Criminal Remedies are most effective methods for Environmental Protection" Discuss.

 पर्यावरण संरक्षण के लिये संवैधानिक एवं दाण्डिक उपचार सबसे प्रभावी तरीके हैं। विवेचना कीजिए।
- 25. How far the establishment of 'Sanctuaries' and 'National Parks' facilitate for the protection of Wild Life under the Wild Life (Protection) Act, 1972. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित 'अभयवन' और 'राष्ट्रीय उद्यानों' द्वारा किस हद तक वन्यजीव को संरक्षण प्रदान करने में भूमिका निभाई है।

OR / अथवा

Elective - VI / विकल्प-VI

- 21. Critically examine Starke's definition of international law and discuss the legal nature of international law.
 स्टार्क की अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विधिक प्रकृति का विवेचना कीजिए।
- 22. 'Refugee is a status under international law from which a number of rights and duties flow.' Elucidate this statement with the help of the provisions of the Convention on the Status of Refugees, 1951.
 'शरणार्थी अन्तर्राष्ट्रिय विधि के अंतर्गत एक परिस्थिति है जिससे अनेक अधिकार एवं कर्तव्य उत्पन्न होते हैं।' शरणार्थियों की प्रास्थिति पर अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की सहायता से इस कथन को विशदीकरण
- 23. While grant of territorial asylum is the highest act of sovereignty, States should decline to grant extra-territorial asylum. Comment and State the circumstances under which extra-territorial asylum may be granted.

 'यद्यपि प्रादेशिक आश्रय देना संप्रभुता का उच्च कृत्य है, राज्यों को बाह्य प्रादेशिक आश्रय देने से विरत रहना चाहिए।' टीका कीजिए तथा उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसके अंतर्गत बाह्य प्रादेशिक आश्रय दिया जा
- 24. Discuss the scope of Article 36 (2) of the statute of the International Court of Justice. What law is applied by the International Court of Justice? अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 36 (2) के विस्तार क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किस विधि का अनुपयोग किया जाता है?

D-5807 19 P.T.O.





25. The WTO dispute settlement system has made a remarkable success in the adjudication of trade related disputes. Comment.

विश्व व्यापार संगठन की विवाद समाधान प्रणाली ने व्यापार से सम्बन्धित विवादों के समाधान में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है।' टीका कीजिए।

OR / अथवा

Elective - VII / विकल्प-VII

- 21. Discuss the grounds on which marriages between Muslims are prohibited. उन आधारों का वर्णन कीजिए जिनके कारण मुसलमानों के बीच विवाह निषिद्ध है?
- 22. On what grounds can a spouse apply for restitution of conjugal rights? Can a husband compel his wife to give up her job and live with him? दाम्पत किन आधारों पर दाम्पत्य अधिकारों के पुर्नस्थापन के लिये दावा कर सकता है? क्या पित अपनी पित को नौकरी छोडकर अपने साथ रहने के लिए बाध्य कर सकता है।
- 23. Discuss with the help of recent cases the wife's right to maintenance under the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986.

 मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नवीनतम वादों की मदद से महिला के भरण पोषण के अधिकार की व्याख्या कीजिए।
- 24. "Adoption among Hindus is uprooting of a child from natural family and absorbing in adoptive family." Discuss.

 ''हिन्दुओं में दत्तक शिशु को उसके नैसर्गिक परिवार से विस्थापित कर गोद लेने वाले में समायोजित करना है।''
 समझाइये।
- 25. Who can be testamentary guardian under the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956? Also discuss his powers.
 हिन्दु अवयस्क एवं संरक्षक अधिनियम 1956 के अनुसार वसीयती संरक्षक कौन हो सकता है? उसके अधिकारों की विवेचना भी कीजिए।

OR / अथवा

"Link the Lifelective will / विकल्प-VIII diciary Exam

- 21. 'The concept of human rights is not static but dynamic and flexible and its content changes in response to new threats to human dignity.' Comment मानवाधिकार की अवधारणा स्थिर नहीं अपितु गतिशील तथा लचीला है और उसकी अन्तर्वस्तु मानवीय गरिमा के लिये नये खतरों के प्रत्युत्तर में परिवर्तित होती रहती है। टीका कीजिए।
- 22. 'The Universal Declaration of Human Rights has been the source of inspiration and the basis for the United Nations in making advances in standard setting as contained in the existing international human rights instruments.' Elucidate this statement. मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणापत्र वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार लिखितों में निहित मानक निर्धारण के क्षेत्र, में संयुक्तराष्ट्र संघ की प्रगति के लिये प्रेरणा का स्रोत एवं आधार रहा है। उस कथन का विशदीकरण कीजए।

D-5807 20







- 23. Assess the role of the National Human Rights Commission in the prevention of custodial torture and death and protection of refugees. हिरासत में यातना एवं मृत्युनिरोध एवं शरणार्थियों के संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- **24.** Discuss the attempts made at the international level for the protection of the human rights of women. स्त्रियों के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयासों की विवेचना कीजिए।
- 25. Discuss the civil and political rights as set forth in the International Covenant on Civil and Political Rights and assess the role of the Human Rights Committee in the implementation of these rights.

 दीवानी एवं राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में वर्णित दीवानी एवं राजनीतिक अधिकारों की विवेचना कीजिए तथा इन अधिकारों के क्रियान्वयन में मानवाधिकार समिति की भूमिका का मुल्यांकन कीजिए।

OR / अथवा

Elective - IX / विकल्प-IX

- 21. With the help of decided cases, discuss the maxim 'Damnum Sine Injuria' and 'Injuria Sine Damnum' निर्णित वादों को सहायता से उक्ति 'डेमनम साईन इंजूरिया' और 'इंजूरिया साईन डेमनम' की विवेचना कीजिए।
- 22. What is Defamation ? Examine the various defences available for defamation. मानहानि क्या है ? मानहानि के वाद में उपलब्ध विभिन्न बचावों का परीक्षण कीजिए।
- 23. Discuss the 'ratio decidendi' of Donough Vs Stevenson with reference to the element of Negligence. उपेक्षा के तत्वों के परिपेक्ष में डोनो बनाम स्टीवेनसन वाद के निर्णयाधार का विवेचन कीजिए।
- 24. How far the principle of absolute liability is recognised by the Supreme Court ? Are there any exceptions to this principle.
 उच्चतम् न्यायालय द्वारा किस हद तक पूर्ण दायित्व के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की है? क्या इस सिद्धान्त के कोई अपवाद हैं?
- 25. Examine the differences between 'private nuissance' and 'public nuissance'. लोक उपताप एवं प्राईवेट उपताप के विभेदों का परीक्षण कीजिए।

OR / अथवा

Elective - X / विकल्प-X

- 21. Critically evaluate the maxim 'nemo dat quod non habet' and exceptions thereto. Do you suggest any change therein ? 'निमो डैट कोड नन हैबेट' सूत्र एवं उसके अपवादों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्या आप उनमें कोई परिवर्तन की सलाह देते हैं?
- 22. How Partnership firm is registered? Analyse advantages of registration to find out the need of registration. Illustrate your answer with case law. भागीदारी फर्म का पंजीकरण कैसे होता है? पंजीकरण की आवश्यकता को बताने के लिये उसको लाभों की व्याख्या करें। अपने उत्तर को वाद विधि को उद्धत कर उदाहरणातीत करें।

D-5807 21 P.T.O.







of such instruments.	's and receive	ers, holders	s affecting bankers	negotiable instruments as	1 0	. *	23.
----------------------	----------------	--------------	---------------------	---------------------------	-----	-----	-----


बैंकर्स, धारक एवं प्राप्तिकर्ता से प्रभावित करने वाले परक्राम्य विलेख की विधिक प्रकृति की व्याख्या करें।

- 24. Critically evaluate the legal position of Directors under S. 2 (13) of the Companies Act, Independent Directors, Executive Directors, Government Directors and Directors appointed by the Court. कम्पनी अधिनियम की धारा 2 (13) के अंतर्गत निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, कर्यकारी निदेशक, सरकारी निदेश एवं न्यायालय द्वारा नियुक्त निदेश की विधिक स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
- 25. Critically evaluate the law relating to oppression in and mismanagement of company. Suggest measures for making them more effective. 'कम्पनी का शोषण एवं कुप्रबंधन' संबंधित विधि की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिये उपाय बतायें।

D - 5807













D - 5807

P.T.O.

AA	Linking "Link the Life with Law"	LCIWS All Judiciary Exam
----	----------------------------------	--------------------------



D - 5807

24











Linking Laws


"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam

D-5807 25



P.T.O.









P.T.O.







	Linking "Link the Life with Law"	LCIWS All Judiciary Exam
--	----------------------------------	--------------------------













D - 5807

29

P.T.O.















AA	Linking Laws "Link the Life with Law" All Judiciary Exam	_
----	--	---

D - 5807















D - 580731 P.T.O.

Linking Laws is an institution for RJS, DJS, MPCJ, UP PCS J, HCS (JB), GJS, & Other State Judiciary and Law Exams.





SECTION - IV

खण्ड-IV

Note: This section consists of one essay type question of forty (40) marks to

be answered in about one thousand (1000) words on any of the

following topics. This question carries 40 marks.

(40x1=40 marks)

नोट: इस खंड में एक चालीस (40) अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित

विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. Cash for question in Parliament is devoid of good governance and, hence calls for electoral reforms.

संसद में नग<mark>दी के बदले में प्र</mark>श्न पूछना सुशासन के विरुद्ध है और इस लि<mark>ये चुना</mark>व सुधारों की आवश्यकता है।

OR / अथवा

Rights of minority vis-a-vis right to social justice. अल्पसंख्यकों के अधिकार बनाम सामाजिक न्याय का अधिकार।

OR / अथवा

The Supreme Court directions with regards to police reforms are not lopsided but complementary to reforms in the administration of criminal justice system. पुलिस सुधार के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश असंतुलित नहीं हैं अपितु आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधार के संपूरक हैं।

OR / अथवा

The constitution makers envisaged the supremacy of the Parliament and did not foresee any controversy regarding supremacy between the Parliament and the Judiciary. संविधान निर्माताओं ने संसद की सर्वोच्चता की कल्पना की थी और उन्होंने सर्वोच्चता को लेकर संसद एवं न्यायपालिका के मध्य किसी विवाद का पूर्वानुमान नहीं किया था?

OR / अथवा

Domestic violence and sexual harassment are most heinous forms of human rights violations.

घरेलू हिंसा तथा यौनिक उत्पीडन मानवाधिकार उल्लंघन के अत्यंत गंभीर प्रकार हैं।

D - 5807 32

⑥ () ○ Linking Laws
Cinking Laws Tansukh Sir
Www.LinkingLaws.com
Unacademy Learner App
Linking Laws is an institution for RJS, DJS, MPCJ, UP PCS J, HCS (JB), GJS, & Other State Judiciary and Law Exams.





D - 580733 P.T.O.

	Linking Laws Link the Life with Law All Judiciary Exam
--	--














D - 5807

35 P.T.O.











D - 5807









D - 5807

37

P.T.O.



	Linking "Link the Life with Law"	Laws All Judiciary Exam
--	----------------------------------	----------------------------

Link the Life with Law" All Judiciary Exam

D-5807 38



D - 5807

39

P.T.O.







	FOR OFFICE USE ONLY						
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Mar <mark>k</mark> s Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5	//////	30	11111	55		80	
6		31		56	7011	81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10	LA	35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	$\Lambda V =$
23		48		73		98	
24	the Li	2 149th	Law	74	All .	u 099i ar	y Exam
25		50		75		100	

Total Marks Obtained	(in words)
(in figures)
Signature & Name of th	ne Coordinator
(Evaluation)	Date

D - 5807 40

